

24/3/25

2025) 415

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा के  
क्रमांक न्यायालय विधि 2025 / 42033 दि.  
13-02-2025 की पालना में न्यायालय उचित  
अधिकारी, भीलवाड़ा से पत्रावली खनवाना  
गणना संख्यामात्रित होकर धारा  
सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा को प्राप्त हुई है पत्र  
पत्र से / पत्रावली सं 415/25 मातृव किया जाव  
पुनः न्यायालय को आदेशानुसार पत्रकारान की पत्रावली  
हेतु दिनांक 24/3/25 को पत्र को

रमेश शर्मा

सहायक कलेक्टर  
भीलवाड़ा

21/7/25  
वादी के रूप में  
हिस्सा लिख  
कर लिया है  
Not Press  
By  
21/7/25

श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विधि/2025/42033 दिनांक 13/2/25 द्वारा  
न्यायालय उपखण्ड अतिथारी भीलवाड़ा में दिनांक 13/2/25 को प्रदान की गई अधिनियम 1956 की धारा  
53, 88, 89, 92, 123 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रावली नवाब साहब मर्दानापुर की पत्रावली अंतर्गत  
होकर वास्ते सुनवाई के लिए उचित प्रकरण में प्रदान की गई को वास्तु मुद्राई तलख किया  
जाकर कार्यवाही की गयी है। न्यायालय द्वारा पत्रावली के अंतर्गत अंतर्गत सक्त पत्रावलियों  
का सम्यक रूप से निवेदन किया जाते हेतु एवं अधिनियम 1956 की धारा 216 (3) में प्रदान की गई  
में तलख न्याय प्रदान भीलवाड़ा को प्राप्त हुई है दिनांक 21/7/25  
स्थान आकीला पेवा हरी पत्रकारान की पत्रावली नवाब साहब  
की वादी मादगीर का द्वारा मादगीर का  
वादी द्वारा वादगुस्त भूमि का विक्रम का दिने  
वादी से वादपत्र की Not Press मांकिर काने  
उपे काई करि का निवेदन किया। वादी मादगीर  
का निवेदन लंबित किजा जाकर वादी द्वारा  
इस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 123 राज.  
काष्ठकारी अधिनियम काईज किजा जाव है।  
पत्रावली फंसल शुमार लीकर वादगुस्त  
ही लफा लखर से कम है।

21/7/25

सहायक कलेक्टर  
भीलवाड़ा